

राजस्थान सरकार
आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग

क्रमांक-एस्टे/डीईएस/विविध/2016/

दिनांक 24.06.2016

आदेश

जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने आदेश क्रमांक 278-51 दिनांक 17.06.2016 के द्वारा पंचायत समितियों में पदस्थापित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, संगणक, प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक की उपस्थिति संबंधित विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने पर ही वेतन भुगतान किये जाने की व्यवस्था की है, जिसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही पूर्वानुसार संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आहरित किये जावें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना एवं
सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना, सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी, मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
7. रक्षी पत्रावली

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव